

भाग-11

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव को राज्य कम संख्या एक परियोजना/स्कीम का स्थान सोनौरा - होठिया जंगल DM-1 क्रमांक 153-154 के तथा स्वरूप कर्मन्नी के पेटोक पथ गावा से 542 मीटर से स्थापित होने पेटोक पथ के पास पास वन 0.08/10 हेक्टर वन भूमि का क्षेत्र कोटवा प्रकाश वन अनुमति

(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र उत्तर प्रदेश
 (ii) जिला देवरिया
 (III) वन प्रभाग देवरिया वन प्रभाग
 (IV) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में) 0.08/10 हे

(V) वन की कानूनी स्थिति संरक्षित वन
 (Vi) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)।
 सिंचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0-4 मीटर भी संलग्न किये जाय।

(Vii) हरियाली का घनत्व- NIL

(VIII) भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता का संक्षिप्त टिप्पणी NIL

(IX) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी अनुमति के भीतर

(X) क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल, रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हों क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डर की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाय) NIL

(XI) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजगत की दुर्लभ/सकिटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हों/तो सत्सम्बन्धित ब्यौरा दें? NIL

(XII) क्या कोई सुरक्षित पुराततीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित हैं। यदि हों तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें, NIL

8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांच गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। है

9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हों/नहीं) यदि हों तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन कार्य अभी भी चल रहे हैं नहीं

10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा संलग्न है

1. प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र और आस-पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार NIL

(2)

11. प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र और आस-पास को वन सीमाओं को दर्शाता मैप संलग्न है।
111. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढोंचा आदि संलग्न है।
- IV. प्रतिपूरक वनीकरण के लिये स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय 98103=0
- V. प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए) संलग्न है।
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम-7 (xi,xii), 8 से 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)
12. विभाग /जिला प्रोफाइल
- I. जिले का भौगोलिक क्षेत्र 2532.20 कठ किलोमीटर
- II. जिले का वन क्षेत्र 5.34580
- III. मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 0.28
- IV. 1980 में जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि x
- (ख) वनेत्तर भूमि परन x
- v. तक प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति ।
- (क) वन भूमि पर NIL
- (ख) वनेत्तर भूमि पर रिक्त
13. प्रस्ताव को स्वीकृति करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष शिफारिश संस्तुति सहित अतिरिक्त।

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान देवरिया

नाम (रजेश श्रीवास्तव)
सरकारी मोहर प्रशासक विभाग
प्रशासक बाकली प्रखण्ड
देवरिया